

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 77]	दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 28, 2017/फाल्गुन 9, 1938	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 386
No. 77]	DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 28, 2017/PHALGUNA 9, 1938	[N.C.T.D. No. 386

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

श्रम विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 27 फरवरी, 2017

सं. डीएलसी/सीएलए/बी.सी.डब्ल्यू./99/594.—भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा 5 उपधारा (1) के साथ पठित गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 14.7.2000 की अधिसूचना संख्या—यू-11030/1/2000 यूटीआई द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवम् अधिसूचना संख्या डी.एल.सी./सी.एल.ए/बी.सी.डब्ल्यू./99/37 दिनांक 09-11-2011 का अधिक्रमण करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र : दिल्ली सरकार विशेषज्ञ समिति का गठन सरकार को नियम बनाने हेतु सलाह देने के लिए गठित करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे;—

- | | |
|---|--------------------|
| 1 सचिव (श्रम) | अध्यक्ष |
| 2 श्रमायुक्त | सदस्य |
| 3 श्रम मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधि | सदस्य |
| 4 विशेष श्रमायुक्त/अतिरिक्त आयुक्त (श्रम) | सदस्य |
| 5 सचिव (बोर्ड)/संयुक्त श्रमायुक्त (बोर्ड) | सदस्य सचिव (बोर्ड) |
| 6 सचिव (विधि) का प्रतिनिधि
(अतिरिक्त सचिव विधि के पद से नीचे न हो) | सदस्य |
| 7 सचिव (लो.नि.वि.)
(अतिरिक्त सचिव/मुख्य अभियंता के पद से नीचे न हो) | सदस्य |
| 8 आयुक्त, पूर्वी दिल्ली नगर निगम का प्रतिनिधि
(उपायुक्त/मुख्य अभियंता उपायुक्त/मुख्य अभियंता जो
कि भवन निर्माण से संबंधित कार्य से जुड़ा हो, से नीचे न हो) | सदस्य |

9	आयुक्त, उत्तर दिल्ली नगर निगम का प्रतिनिधि (उपायुक्त/मुख्य अभियंता जो कि भवन निर्माण से संबंधित कार्य से जुड़ा हो, से नीचे न हो)	सदस्य
10	आयुक्त, दक्षिण दिल्ली नगर निगम का प्रतिनिधि (उपायुक्त/मुख्य अभियंता के पद से नीचे न हो)	सदस्य
11	उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण का प्रतिनिधि (मुख्य अभियंता संबंधित कार्य से नीचे न हो)	सदस्य
12	अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका का प्रतिनिधि (मुख्य अभियंता के पद से नीचे न हो)	सदस्य
13	मुख्य अभियंता (सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण)	सदस्य
14	दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन के प्रतिनिधि	सदस्य
15	तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि (स्किल मिशन से संबंधित)	सदस्य
16	मुख्य कारखाना निरीक्षक/उप कारखाना निरीक्षक	सदस्य
17	मुख्य निरीक्षक/उप निरीक्षक (विद्युत)	सदस्य
18	श्री रामेन्दर कुमार, जनरल सचिव, दिल्ली मजदूर संगठन	सदस्य
19	श्री कृष्ण कुमार यादव, श्रमिक विकास संगठन	सदस्य
20	सुश्री शिखा जोशी, सेवा भारती (श्रमिक संगठन से संबंधित)	सदस्य
21	श्री सिद्धेश्वर प्रसाद शुक्ला, सी.टी.यू. (श्रमिक संगठन से संबंधित)	सदस्य
22	श्री राजपाल अरोड़ा, (बिल्डर एसोसियेशन से संबंधित)	सदस्य

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
ए. के. सिंह, सचिव (श्रम)

LABOUR DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 27th February, 2017

No. DLC/CLA/BCW/99/594.—In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 5 of the Building & Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (27 of 1996) read with the notification No. U-11030/1/2000-UTI dated the 14th July 2000 issued by the Ministry of Home Affairs, Govt. of India, and in supersession of this Government's Notification DLC/CLA/BCW/99/333 dated 9th November 2011, the Government of National Capital Territory of Delhi hereby constitute the Expert Committee for advising the Government to make rules under the said Act, namely:-

(i)	Pr. Secretary/Secretary (Labour)	:	Chairman
(ii)	Labour Commissioner	:	Member
(iii)	Representative of Ministry of Labour	:	Member
(iv)	Spl. Commissioner/ Addl. Commissioner (Labour)	:	Member

(v)	Secretary (Board)/ Joint Labour Commissioner (Board)	:	Member
(vi)	A nominee of Secretary (L and J) (not below the rank of Addl. Secretary)	:	Member
(vii)	A nominee of Secretary (PWD) (not below the rank of Addl. Secretary/Chief Engineer)	:	Member
(viii)	A nominee of Commissioner (East DMC) (not below the rank of Dy. Commissioner/Chief Engineer dealing with Building and Construction Works)	:	Member
(ix)	A nominee of Commissioner (North DMC) (not below the rank of Dy. Commissioner/Chief Engineer dealing with Building and Construction Works)	:	Member
(x)	A nominee of Commissioner (South DMC) (not below the rank of Dy. Commissioner/Chief Engineer dealing with Building and Construction Works)	:	Member
(xi)	A nominee of Vice Chairman, DDA (not below the rank of Chief Engineer)	:	Member
(xii)	A nominee of Vice Chairman (New Delhi Municipal Council) (not below the rank of Chief Engineer)	:	Member
(xiii)	Chief Engineer (Irrigation and Flood Control)	:	Member
(xiv)	A nominee of Delhi Metro Rail Corporation	:	Member
(xv)	A nominee of Technical Education Dealing with Skill Mission	:	Member
(xvi)	Chief Inspector/Dy. Inspector of Factories	:	Member
(xvii)	Chief Inspector/Dy. Inspector (Electrical)	:	Member
(xviii)	Sh.Ramendra Kumar, Delhi Nirman Mazdoor Sangathan (Representative of Trade Union)	:	Member
(xix)	Sh. Krishna Kumar Yadav, Sharamik Vikas Sangathan (Representative of Trade Union)	:	Member
(xx)	Ms. Sikha Bharti, SEWA Bharati (Representative of Trade Union)	:	Member
(xxi)	Sh.Sidheshwar Prasad Shukla, CITU (Representative of Trade Union)	:	Member
(xxii)	Sh.Rajpal Arora (Representative of Builder Association of India)	:	Member

By Order and in the Name of the
Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi,
A. K. SINGH, Secy. (Labour)